नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले को 10 साल की सजा और अर्थदंड

भास्कर संवाददाता | दमोह

विशेष न्यायाधीश डीडी द्विवेदी ने शुक्रवार को दिए फैसले में एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले वाले आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। डीपीओ लखन सिंह भवेदी ने बताया कि 23 अप्रेल 2017 को पटेरा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 16 वर्षीय नाबालिग को आरोपी पुद्द उर्फ विनोद पिता धनुआ अहिरवार 22 ने शादी का प्रलोभन देकर उसे बहला-फुसलाकर दिल्ली, नोयडा ले गया और उसके साथ कई दिनों तक गलत काम करता रहा। उसके बाद वह वापस आया तो दमोह स्टेशन पर पुलिस ने पकड़ लिया। इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश किया। इस मामले में न्यायाधीश ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 363 में 2 वर्ष की सजा व एक हजार रुपए अर्थदंड, धारा 366 में 3 वर्ष की सजा व दो हजार रुपए अर्थदंड एवं पास्को एक्ट की धारा 6 में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।

पत्नी पर केरोसिन डालकर हत्या के प्रयास के आरोपी पति को 8 साल की सजा

भास्कर संवाददाता | हटा

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हितेंद्र सिंह सिसोदिया ने पत्नी पर केरोसिन डालकर हत्या के प्रयास करने पर 8 साल के कारावास व 6 हजार रूपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार 15 दिसंबर 2015 को सायं 5 बजे सनकुइया ग्राम स्थित अपने घर में अभियुक्त सुग्रीव ने जब दिल्ली जाने की बात की तो पत्नी कीर्ति ने उसे मना किया। इसी बात को लेकर दोनों में वाद-विवाद बढ़ा। जिस पर गुस्से में सुग्रीव ने अपनी पत्नी कीर्ति पर केरोसिन उड़ेलकर आग लगा दी थी। आग से झुलसी कीर्ति को हटा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया था। डॉक्टर की रिपोर्ट पर हटा पुलिस ने अस्पताल में कीर्ति के बयान दर्ज के धारा 307 आईपीसी का अपराध दर्ज किया था। सहायक उपनिरीक्षक संजय सिंह ने विवेचना पूर्ण कर अभियोग पर न्यायालय में पेश किया। जिसमें दस्तावेजी साक्ष्य घटना स्थल के गवाहों के एवं पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी सुग्रीव पिता रामचरण उर्फ कल्ला अहिरवार 8 वर्ष के कारावास व जुर्माना की सजा से दंडित किया है।

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

भास्कर न्यूज|अनूपपुर

चार वर्षीय अबोध बालिका से दुष्कर्म किए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

प्रकरण की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि बिजुरी थानान्तर्गत 6 मार्च 2017 को आरोपी मो. बकरीदी उर्फ छोटकू पिता अकबर अली निवासी वार्ड क्रमांक 11 छतहा मोहल्ला जो कि घटना दिनांक को पड़ोस में रहनी वाली साढ़े 4 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को सूनेपन का फायदा उठाते हुए अंजाम दे रहा था जिसके बाद मौके पर पहुंची पीड़िता की मां के पहुंचने पर आरोपी फरार हो गया। जिसके बाद इस मामले की शिकायत पर बिजुरी पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 454, 376 (2), (1) 511, 3, 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था जिस पर 13 दिसंबर को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश रविकुमार नायक के द्वारा इस मामले पर उभय पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क सुनते हुए विशेष लोक अभियोजक दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया एवं लोक अभियोजन अधिकारी राम नरेश गिरी के तर्क से सहमत होते हुए आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए का अर्थदंड दिए जाने के आदेश दिए गए।